#### (TO BE PUBLISHED IN PART -IV OF THE DELHI GAZETTE EATRAORDINARY)

### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFARIS) 8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECREYARIAT, NEW DELHI

No. F.14(27)/LA-2015/ 10 m2 Jan/ 54-163

Dated the 31/December, 2015

#### NOTIFICATION

NO. F.14(27)/LA-2015/10 m 2/20 his -165-. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 18<sup>th</sup> December, 2015 and is hereby published for general information:-

## "THE DELHI APPROPRIATION (NO.3) ACT, 2015 (DELHI ACT 06 OF 2015)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 01<sup>st</sup> December, 2015)

[18<sup>th</sup>December, 2015]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2015-16

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

 This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 3) Act, 2015.

#### issue of

Rs.259,96,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016.

2015.2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital

Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column(5) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of rupees Two hundred fifty nine crore ninety six lakhs only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

 The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

#### THE SCHEDULE

#### (See section 2 and 3)

(Rs. In thousands) SUMS NOT EXCEEDING Total Charged on Voted by the Demand Services and Purposes Legislative the No. Consolidated Assembly Fund 5 3 4 1 100 100 General Administration 2 Revenue 300 300 4 Finance Revenue 300 300 6 Education Revenue 200 400 600 Social Welfare 8 Revenue 2496100 2496100 Revenue Development 10 2200 2200 Urban Development and Revenue 11 **Public Works** 100000 Capital 100000 14 Contingency Fund 2599600 400 Total 2599200

c. Francisco

(C.Arvind)

Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

# (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग - IV में प्रकाशनार्थ)

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग) आठवॉ तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं० फा० 14(27)/एलए-2015/(८७०८)४४//54-163

दिनांक 3/ दिसंबर, 2015

## अधिसूचना

सं० फा० 14(27) / एलए-2015 / 690 1/3 1/3 .— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप—राज्यपाल की सहमति दिनांक 18 दिसंबर, 2015 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

# \*दिल्ली विनियोग (संख्या ०३) अधिनियम, २०१५ (२०१५ का दिल्ली अधिनियम ०६ )

(01 दिसंबर, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[18दिसंबर, 2015]

वर्ष 2015—16 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिख्ति रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक।

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 3) अधिनियम 2015 है।
- 259,96,00,000 / रुपयों का वर्ष 2015—2016 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए दो सौ उनसठ करोड छियानबे लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2015-2016 की अविध के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अविध के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (धारा 2 और धारा 3 देखिए)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियां

विकास

निर्माण

योग

शहरी विकास और लोक

आकस्मिकता निधि

10

11

14

रुपये हजारो में

अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
2	साधारण प्रशासन	राजस्व	100	00	100
4	वित्त	राजस्व	300	00	300
6	शिक्षा	राजस्व	300	00	300
. 8	सामाजिक कल्याण	राजस्व	200	400	600
		a			

राजस्व

राजस्व

पूंजी

2496100

2200

100000

2599200

c. Frans

2496100

2200

100000

2599600

00

00

00

400

(सी. अरविंद) अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)